

**CERTIFICATE PROGRAMME IN CONSUMER
PROTECTION**

Term-End Examination

01946

June, 2018

**CPI (Revised) : CONSUMER PROTECTION
ISSUES**

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

(Weightage : 70%)

Note : CPI (Revised) should be attempted by only those candidates who have taken admission from July 2009 Session.

Note : This question paper has been divided in three sections. All sections are compulsory.

SECTION - I

Attempt **any two** of the following questions in about 600 words. Each question carries 20 marks.

2x20=40

1. Give a brief account of the evolution of the consumer laws in India.
2. Describe the procedure for filing complaint and machinery for settling consumer disputes under the Consumer Protection Act, 1986.

3. Discuss the main provisions of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.
4. Analyse the important judgments relating to the rights of consumers in the field of housing and transport.

SECTION - II

Attempt any four of the following questions in about 300 words. Each question carries 10 marks.

4x10=40

5. Discuss the UN Guidelines on Consumer Protection, 1999.
6. Discuss the duties of a consumer under the Consumer Protection Act, 1986.
7. Discuss the limitations of the Consumer Protection Act, 1986. What suggestions will you offer for making the Act more effective ?
8. Explain the concept of Caveat Emptor.
9. Discuss the main features of the Essential Commodities Act, 1954.
10. Discuss the main provisions of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954.

11. Analyse the important judgments relating to the rights of consumers in the field of Legal Profession.
12. Analyse the main features of the Consumer Protection Regulations, 2005.

SECTION - III

Write short notes on **any four** of the following in about 150 words. Each question carries 5 marks.

4x5=20

13. Strict Liability.
 14. Agricultural Products (Grading and Marketing) Act, 1937.
 15. Sale of Goods Act, 1930.
 16. 'Deficiency in service' under the Consumer Protection Act, 1986.
 17. Banking Ombudsman Scheme.
 18. Consumer education.
-

उपभोक्ता संरक्षण में प्रमाण-पत्र कार्यक्रम

सत्रांत परीक्षा

जून, 2018

सी.पी.आई. (संशोधित) : उपभोक्ता संरक्षण - मुद्दे

समय : 3 घंटे

अधिकतम अंक : 100

(कुल का 70%)

नोट : यह प्रश्न पत्र उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने सी.पी.आई. (संशोधित) में पंजीकरण जुलाई 2009 सत्र में अथवा उसके बाद कराया है।

नोट : इस प्रश्न पत्र में तीन भाग हैं। सभी भाग अनिवार्य हैं।

भाग - I

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के (प्रत्येक का) उत्तर लगभग 600 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। $2 \times 20 = 40$

1. भारत में उपभोक्ता कानूनों के विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और उपभोक्ता विवादों के निपटान के तंत्र का वर्णन कीजिए।
3. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के मुख्य उपबंधों की चर्चा कीजिए।

4. आवास और परिवहन के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयों का विश्लेषण कीजिए।

भाग - II

निम्नलिखित प्रश्नों में से **किन्हीं चार** का (प्रत्येक का) उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

4x10=40

5. उपभोक्ता संरक्षण, 1999 पर संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देशों की चर्चा कीजिए।
6. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के कर्तव्यों की चर्चा कीजिए।
7. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की सीमाओं की चर्चा कीजिए। अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे ?
8. ग्राहक-सावधान की संकल्पना का वर्णन कीजिए।
9. अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1954 की मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए।
10. औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के मुख्य उपबंधों की चर्चा कीजिए।

11. विधि व्यवसाय के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों का विश्लेषण कीजिए।
12. उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2005 की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए।

भाग - III

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर (प्रत्येक पर) लगभग 150 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है।

4x5=20

13. कठोर दायित्व (Strict Liability)
14. कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और वस्तु चिह्न अधिनियम, 1937
15. माल विक्रय अधिनियम, 1930
16. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'सेवा में कमी'
17. बैंकिंग ओमबड्समैन योजना
18. उपभोक्ता शिक्षा